पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 91/2024 **दिनांक- 19.03.2024**

प्रेस- नोट

थाना- कप्तानगंज

अपहृत किशोर की हत्या की घटना का सफल अनावरण; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ईट के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 15.03.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रमिला प्रजापति पत्नी स्वं0 सुरेश प्रजापति साकिन- कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 10.03.2024 को वादिनी मुकदमा के लड़के गंजू उम्र करीब 14 वर्ष का घर से कही चला गया है तथा काफी खोजबीन के उपरान्त भी कही पता नही चला है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 67/24 धारा- 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार पाठक द्वारा की सम्पादित की जा रही थी।

➡विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 364/302/201 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए धारा 363 भादवि का लोप किया गया तथा **अभियुक्त गुलशन गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश** में आया।

➡मुकदमा उपरोक्त में धारा बढोत्तरी के उपरान्त अभियोग उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कप्तानगंज द्वारा ग्रहण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 120 बी भादवि की बढोत्तरी किया गया व अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ का नाम प्रकाश मे लाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 18.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 1. गुलशन गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को प्राथमिक विद्यालय रानीपुर के पास तिराहे पर नियमानुसार समय करीब 20.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब (मृतक) गन्जू प्रजापति पुत्र स्व0 सुरेश प्रजापति निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ़ जो मेरे बगल का ही रहने वाला था, वह मेरी पत्नी के ऊपर गंदी नियत रखता था मुझे गन्जू की नियत वहुत खराब लगती थी मैंने उसे कई बार समझाया था लेकिन वह नही मानता था। फिर यह सारी बाते मैंने अपने भतीजा प्रिंस गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ को व्हाट्सअप काल करके बताया था। तब प्रिन्स गुप्ता ने ही मुझसे कहा था कि तुम उसे किसी बहाने से कही दूर ले जाकर उसे मार दो और किसी को बताना मत जो होगा मैं देख लूंगा। प्रिन्स गुप्ता के कहने पर दिनांक 11.03.2024 को समय 11.00 बजे गन्जू प्रजापति पुत्र स्व0 सुरेश प्रजापति निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को अपने घर से अपनी टीवीएस मोटर साइकिल नम्बर UP 50 CQ 7544 से प्लास्टिक का सामान खरीदने के बहाने अपने साथ ले जाकर पहले कौड़िया बाजार में शराब खरीदकर दोनो लोग शराब पिये उसके बाद बसखारी की तरफ ले जाकर दुर्गीपुर गाँव के पास खेतो की तरफ जाने वाले चकरोड पर सुनसान जगह पर गेहूं की खेत में ईंट से उसके सिर व चेहरे पर मारकर उसकी हत्या कर शव को वही गेहूं के खेत में छोड़कर चुपचाप चला आया था।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 67/24 धारा 364/302/201 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-गुलशन गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 67/24 धारा 364/302/201 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1- एक मोबाइल व एक टीवीएस मोटर साइकिल UP50CQ7544

2- निशानदेही पर एक ईंट (आला कत्ल)

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. कां0 विनोद कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. कां0 अजय कुमार चौधरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
4. कां0 प्रमोद कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़